

न्यायालय मे श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर मध्य प्रदेश

238



II/ निगरानी/शहडोल/भू.रा/2018/1701

- 1- भैयालाल पिता मंगलदीन अहीर उम्र- 45 वर्ष पेशा कृषि
  - 2- रामचन्द्र पिता मंगलदीन अहीर उम्र- 50 वर्ष पेशा कृषि
  - 3- जीवन पिता मायाराम सिंह गोंड उम्र-55 वर्ष मृत जरिए वैध वारिस
  - 3 क- शिवप्रसाद पिता जीवन सिंह गोंड उम्र- 35 वर्ष पेशा कृषि
  - 3 ख- राजकुमार पिता जीवन सिंह गोड उम्र- 30 वर्ष पेशा कृषि
  - 4- बडकाबाई देवा मेहीलाल गोड उम्र- 50 वर्ष पेशा कृषि
  - 5- छोटेलाल पिता शंभू दर्जी उम्र- 45 वर्ष पेशा कृषि
- आवेदक कमांक- 1 ता 4 निवासी ग्राम कुसमी थाना सीधी तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल म0प्र0 आवेदक कमांक- 5 निवासी ग्राम कुदरी थाना सीधी तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल म0प्र0

..... आवेदक/निगराकार

बनाम

पंकज पिता कुंजबिहारी गुप्ता उम्र- 35 वर्ष पेशा व्यवसाय निवासी वार्ड कमांक- 1 जयसिंहनगर थाना तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल म0प्र0

..... अनावेदक/गैर निगराकार

राजस्व निगरानी विरुद्ध कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल अमझोर तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल म0प्र0 के रा0प्र0क0- 08/अ-12/2013-14 मे पारित आदेश दिनांक- 10.04.2015 से व्यथित होकर।

न्यायालय कलेक्टर शहडोल जिला शहडोल म0प्र0 के मामला कमांक- 9/स्व निगरानी/2016-17 मे पारित आदेश दिनांक- 25.01.2018 से व्यथित होकर।

आवेदन अर्न्तगत धारा- 50 म0प्र0भू0रा0सं0-

श्री. सत्येन्द्र सिंह धाकड़  
द्वारा आज दि. 12-3-18 को  
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क प्रस्तुत।  
दिनांक 20-3-18  
कलेक्टर ऑफ कोर्ट 12-3-18  
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

आवेदक/निगराकार पुर्नरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विनय

करते है कि-

यह कि मामले का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक/गैर निगराकार द्वारा कार्यालय राजस्व निरीक्षक अमझोर तहसील जयसिंहनगर

- 2 -

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- दो / निगरानी / शहडोल / भू.रा. / 2018 / 1701

भैयालाल अहीर आदि विरुद्ध पंकज गुप्ता

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
<p><del>19-02-2019</del> 20-02-2019</p>	<p>आवेदक की ओर से श्री एस.पी. धाकड़ अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर शहडोल, जिला-शहडोल के प्रकरण क्रमांक 09/स्व.निग./2016-2017 में पारित आदेश दिनांक 25-01-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 18-4-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p style="text-align: right;"><i>havi</i> (आर.के. जैन) सदस्य 20/2/2019</p>